## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

आदेश सं0 125 /2023 दिनाँक 16.12.2023

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुक्रम में तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 29/2009 एडमिन (जी–1) दिनाँकित 30.05.2009 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण एवं विशाखा एवं अन्य बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (1997) 6 एस0सी0सी0 241 में माननीय एपैक्स कोर्ट द्वारा कार्यस्थल (Work Place) पर यौन उत्पीड़न रोकने सम्बन्धी जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति की सदस्या श्रीमती कुमुद उपाध्याय, सिविल जज(सी0डि0)/एफ0टी0सी0, हाथरस का स्थानान्तरण अन्य जनपद में हो जाने के कारण पूर्व पारित आदेश संख्या 95/2023 दिनांकित 28.09.2023 में संशोधन करते हुये हुए निम्न अधिकारीगण की समिति गठित की जाती है :–

| | नाम अधिकारीगण/पदनाम | पद |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती चित्रा शर्मा<br>ए.डी.जे./विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), हाथरस। | अध्यक्षा |
| 2. | सुश्री अनु चौधरी,<br>अपर सिविल जज (सी0डि0), हाथरस। | सदस्या |
| 3. | श्री आशीष थिरानिया ,<br>सिविल जज (सी0डि0)/एफ.टी.सी, हाथरस। | सदस्य |
| 4. | श्रीमती सुमन वार्ष्णेय,<br>परामर्शदाता, परिवार न्यायालय, हाथरस। | सदस्या |
| 5. | सुश्री प्रिया गुप्ता,<br>एडवोकेट, सिविल कोर्ट, हाथरस। | सदस्या |

तदनुसार सम्बन्धित को सूचित किया जाये।

16/12/2023

(सतेन्द्र कुमार)
जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।